



## ‘अखलि भारतीय सेवा’ अधिकारियों की प्रतनियुक्ति

### प्रलिस के लयि:

अखलि भारतीय सेवाएँ (AIS), कार्मकि और प्रशकिषण वभिग (DoPT) ।

### मेन्स के लयि:

भारतीय प्रशासनकि सेवा (कैडर) नयिम 1954, अखलि भारतीय सेवा अधिकारियों की प्रतनियुक्ति, AIS अधिकारियों की संघीय प्रकृती

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में कार्मकि एवं प्रशकिषण वभिग (DoPT) ने राज्यों को लिखा है कि केंद्र सरकार ‘भारतीय प्रशासनकि सेवा (कैडर) नयिम-1954’ के नयिम 6 (कैडर अधिकारियों की प्रतनियुक्ति) में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है ।

- इसके तहत केंद्र सरकार IAS और IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रतनियुक्ति के माध्यम से स्थानांतरति करने हेतु राज्य सरकारों की मंजूरी लेने की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु अधिभावी शक्तियों का अधगिरहण करेगी ।

## प्रमुख बडि

### अखलि भारतीय सेवाएँ:

- परचिय: अखलि भारतीय सेवाओं (AIS) में भारत की तीन सविलि सेवाएँ शामिल हैं:

- भारतीय प्रशासनकि सेवा (IAS)
- भारतीय पुलसि सेवा (IPS)
- भारतीय वन सेवा (IFoS) ।

- अखलि भारतीय सेवाओं की संघीय प्रकृति: अखलि भारतीय सेवा अधिकारियों की भरती केंद्र सरकार द्वारा (UPSC के माध्यम से) की जाती है और उनकी सेवाओं को वभिन्नि राज्य संवर्गों के तहत आवंटति कयिा जाता है ।

- इसलयि उनकी राज्य और केंद्र दोनों के अधीन सेवा करने की जवाबदेही होती है ।

- हालाँकि अखलि भारतीय सेवाओं की कैडर नयित्रण अर्थोरति केंद्र सरकार के पास है ।

- DoPT भारतीय प्रशासनकि सेवा (IAS) अधिकारियों का कैडर कंट्रोलगि अर्थोरति है ।

- भारतीय पुलसि सेवा और भारतीय वन सेवा अधिकारियों (IFoS) की प्रतनियुक्ति के लयि कैडर कंट्रोलगि अर्थोरति कर्मश: गृह मंत्रालय (MHA) और पर्यावरण मंत्रालय के पास है ।

- केंद्रीय प्रतनियुक्ति रजिर्व: राज्य सरकार को प्रतनियुक्ति हेतु उपलब्ध अधिकारियों को केंद्रीय प्रतनियुक्ति रजिर्व (Central Deputation Quota) के तहत नरिधारति करना है ।

- प्रत्येक राज्य कैडर/संवर्ग सेवा का एक केंद्रीय प्रतनियुक्ति कोटा प्रदान करता है जिसके लयि केंद्र सरकार में पदों पर सेवा देने हेतु प्रशकिषति और अनुभवी सदस्यों को प्रदान करने के लयि सेवा में अतरिकित भरती की आवश्यकता होती है ।

### एआईएस अधिकारी की प्रतनियुक्ति और वर्तमान नयिम:

- सामान्य व्यवहार में केंद्र हर साल केंद्रीय प्रतनियुक्ति (Deputation) पर जाने के इच्छुक अखलि भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की "प्रस्ताव सूची" मांगता है जिसके बाद वह उस सूची से अधिकारियों का चयन करता है ।

- अधिकारियों को केंद्रीय प्रतनियुक्ति हेतु राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होती है ।

- राज्यों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में अखलि भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों की प्रतनियुक्ति करनी होती है और किसी भी समय यह कुल संवर्ग की संख्या के 40% से अधिक नहीं हो सकती है ।

### प्रस्तावति संशोधन:

- यदि राज्य सरकार किसी राज्य कैडर अधिकारी को केंद्र में नयिकृति करने में देरी करती है और नरिदषि्ट समय के भीतर केंद्र सरकार के नरिणय को लागू नहीं करती है, तो अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा नरिदषि्ट तथिा से कैडर से मुक्त कर दयिा जाएगा ।

- केंद्र, राज्य के परामर्श से केंद्र सरकार को प्रतनियुक्ति कयि जाने वाले अधिकारियों की वास्तवकि संख्या तय करेगा ।

- केंद्र और राज्य के बीच किसी भी असहमति के मामले में केंद्र सरकार द्वारा तय कयिा जाएगा और राज्य, केंद्र के फैसले को लागू

करेगा।

- वशिष्ठ स्थितियों में जब केंद्र सरकार द्वारा "जनहति" में केंद्र अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, राज्य अपने नरिण्यों को एक नरिदष्टि समय के भीतर प्रभावी करेगा।

▪ **DoPT का पक्ष:**

- डीओपीटी ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्रालयों में अखलि भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों की कमी के मद्देनज़र यह फैसला ले रहा है।
- डीओपीटी के अनुसार, राज्य केंद्रीय प्रतनियुक्ता के लिये पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजति नहीं कर रहे हैं और अधिकारियों की संख्या केंद्र में आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

▪ **कुछ राज्यों द्वारा वरिध:**

- यह सहकारी संघवाद की भावना के वरिध है।
- प्रस्तावति संशोधन नौकरशाही पर राज्य के राजनीतिक नरियंत्रण को कमज़ोर करेगा।
- यह प्रभावी शासन को बाधति करेगा और परहार्य कानूनी और प्रशासनिक वविाद पैदा करेगा।
- केंद्र एक चुनी हुई राज्य सरकार के खिलाफ नौकरशाही को हथियार बना सकता है।

**स्रोत: द हट्टि**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/deputation-of-all-india-services-officer>

